

क्रमांक : एफ 4-1/2021/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर, 2021

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय - शासकीय सेवकों तथा स्थायी कर्मियों को देय मंहगाई भत्ते की दर में अक्टूबर, 2021 से वृद्धि।

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 4-3/2019/नियम/चार दिनांक 14 जून, 2019 द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों को माह जनवरी, 2019 से सातवें वेतनमान में 12% की दर से मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है।

2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त दरों में वृद्धि करते हुये निम्नानुसार तिथि व दर से मंहगाई भत्ता दिया जाये:-

अवधि जब से देय	मंहगाई भत्ते की वृद्धि का प्रतिशत
सातवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ता की दर दिनांक 01-10-2021 से(भुगतान माह नवम्बर, 2021)।	8% (12%+8% कुल 20%)

3/ मंहगाई भत्ते में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

4/ मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जायेगा।

5/ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन आदेशों के अन्तर्गत देय मंहगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी.के. श्रीवास्तव)


उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

निरंतर.....2

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल, मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल
 2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
 3. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल
 4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल
 5. सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
 6. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
 7. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर
 8. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
 9. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश राज्य शासन भोपाल
 10. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
 11. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
 12. महाधिवक्ता / अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर
 13. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल
 14. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
 15. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल
 16. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
 17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
 18. समस्त प्राचार्य, लेखा परीक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
 19. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल ।
 20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ
 21. समस्त कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश
 22. गार्ड फाईल
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



21/10/2021

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग